फर्द अहकाम

नारायण लाल बनाम तहसीलदार तहसील फागी

न्यायालय उपखंड II सांगानेर

संख्या (70/2018) 15/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी को साक्ष्य पेश करने हेतु चाहता है एक और अन्तिम अवसर दिया जाता है। वादी आगामी पेशी पर साक्ष्य पेश करने हेतु हिदायत की जाती है। पत्रावली दि० 27/2/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)	
27/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी ने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया था। के वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 20/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	नामान्तरण खोला
20/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 15/2021 (70/2018)
निर्णय दिनांकः 20.03.2025

उनवान

1. नारायण लाल जाट पुत्र रामरतन जाति जाट आयु 36 वर्ष निवासी केरिया तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील फागी।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वादी ने वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी भुमि खसरा नं0 211, 484, 486 कुल कीता 3 कुल रकवा 4 बीघा वाकै ग्राम कैरिया तह० फागी जिला जयपुर मे स्थित है, जिसे वादपत्र में आगे चलकर विवादीत आराजी से सम्बोधित किया गया है। विवादीत आराजी स्वं० छीतर पुत्र रागू जाति जाट की क्रय शुदा आराजी थी, जिसको स्वं छीतर द्वारा माधो पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी कैरिया तह० फागी से दिनांक 17.05.1988 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था। छीतर नाओलाद दिनाक 21112013 को फौत हो गया है तथा उसकी विवाहीता पत्नी हंगाम देवी का भी निधन दिनांक 10.12.2014 को हो गया है। छीतर के किसी प्रकार से जायन्दा पुत्र या पुत्री नहीं है। स्वं छीतर ने अपने जीवन काल में अपनी पत्नी की सहमति से एक वसीयत नामा वादी के पक्ष में स्टाम्प कीगति 100/– पर दिनांक 22.03.2012 को तहरीर तकमील किया। इस प्रकार स्वं छीतर के मरणोपरान्त विवादीत आराजी का एक मात्र खातेदार वादी हो गया है तथा वादी अपनी खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादी का विवादीत आराजी पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। वादी का विवादीत आराजीयात पर कब्जा है। वादी ने स्वं छीतर के मरणोपरान्त व हंगाम देवी के निधन के पश्चात स्वं छीतर द्वारा निष्यादीत वसीयत पत्र के आधार पर विवादीत आराजीयात का नामातकरण खुलवाने हेतु प्रार्थन पत्र तहसीलदार महोदय को प्रस्तुत किया तो तहसीलदार महादेय द्वारा किसी प्रकार से अपेक्षित कार्यवाही नही करने के कारण से उक्त वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वाद का हेतुक दिनांक 01.05.2018 को तहसीलदार महोदय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नही करने तथा तहसीलदार महोदय द्वारा न्यायिक कार्यवाही करने की सलाह देने से उत्पन्न हुआ है. जिसका श्रवणाधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

अतः वादी का वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि विवादीत आराजी जो वादपत्र के पैरा नम्बर 1 में वर्णित है में वादी एक मात्र खातेदार काश्तकार है तदनुसार पालना वास्ते तहसीलदार फागी को लिख जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करे तथा नही किसी ऐजेन्ट , सर्वेन्ट , आदी से करावे ।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस लतब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पेराकार सरकार की ओर से इस आशय का जवाब दावा पेश

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

किया कि मुताबिक जमाबन्दी बिन्दू संख्या 1 स्वीकार है स्व0 छीतर पुत्र रामू विक्रय पत्र दिनांक 17.05.1988 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अतः श्रीमानजी से निवेदन हे कि वाके ग्राम केरिया के खसरा नम्बर 211, 484, 486 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बिघा स्व0 छीतर पुत्र रामू जाति जाट विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 17.05.1988 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है कार्यालय ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र द्वारा छीतर पुत्र रामू की मुत्यु दिनांक 21.11.2013 व स्व0 छीतर की पत्नी हगामी देवी की मृत्यु दिनांक 10.12.2014 को नाओलाद होना बताया है स्व0 छीतर पुत्र रामू ने अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा में अपने निकटतम रिश्तेदार नारायण पुत्र रामरतन जाट को अपना उत्तराधिकारी बनाया है जवाब नियमानुसार कार्यवाही हेतु पेश है दोनो पक्षो के अभिवचनों के अनुसार निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 211, 484, 486 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बिघा वाके ग्राम कैरिया तहसील फागी जिला जयपुर को दिनांक 17.05.1988 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है। उक्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है।

2. आया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त है — वादी

3. आया कि वादग्रज्ञत आराजी पर वादी, प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध कराने का अधिकारी है। — वादी

4. आया कि वादग्रस्त आराजी छीतर पुत्र रामू कोम जाट निवासी कल्याणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राहिन ज.नि.स.भू वि बैक लि0 शाखा फागी मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। — प्रतिवादी

5. आया कि स्व0 छीतर पुत्र रामू ने वादग्रस्त आराजी पर अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा में अपने निकटतम रिश्तेदार नारायण पुत्र रामरतन जाट को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। — प्रतिवादी

6. अनुतोष

तनकीयात किये जाने के पश्चात प्रकरण को साक्ष्यवादी में नियत किया गया । वादी की ओर से दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श–1 कार्यालय ग्राम पंचायत परवण का प्रमाण पत्र, प्रदर्श–2 वसीयतनामा की प्रति पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य शपथ पत्र की पी डब्ल्यू नारायण लाल जाट का पेश किया । प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

बहस वादी अधिवक्ता सूनी गई। वादी अधिवक्ता ने ने अपनी बहस में वाद पत्र, दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व तनकीवार विवेचन किया जाना उचित समझते है।

1. **तनकीसंख्या 1 व 2–** उक्त तनकीयात दानों एक दूसरे से सम्बंधित होने से उनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इस तनकीयात को साबित करने का भार वादी पर है। वादी का इस सम्बंध में तर्क रहा है कि वादग्रस्त आराजी ख0न0 211, 484, 486 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बिघा वाके ग्राम कैरिया तहसील फागी जिला जयपुर को विक्रय पत्र दिनांक 17.05.1988 को छीतर पुत्र रामू ने माघो पुत्र धन्ना से क्रय किया था। इस तथ्य को प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में स्वीकार किया कि उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि छीतर पुत्र रामू ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरिद किया है । वादी का यह कथन रहा कि छीतर पुत्र रामू नाओलाद फौत हुआ है व उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकि है। इस सम्बंध में वादी द्वारा छीतर पुत्र रामू का मृत्यु प्रमाणपत्र पेश किया और ग्राम पंचायत परवण का जारी प्रमाण पत्र दिनांक 21.02.2018 पेश किया जिसमें छीतर पुत्र रामू व उसकी पत्नी की नाओलाद गृत्यु हो जाने का कथन अंकित है। इस प्रकार वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि स्वअर्जित सम्पति होना साबित होता है वादी ने प्रदर्श–2 वसीयत नामा की प्रति पेश कि है जिसमें छीतर पुत्र रामू ने वादी

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

के पक्ष मे लिखी हुई है। उक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि स्वअर्जित सम्पति होने से वसीयत की है जो विधि अनुसार सही होना प्रतीत होता है। वादग्रस्त भूमि खातेदार काश्तकार छीतर पुत्र रामू होना राजस्व रिकार्ड से साबित होता है। तळा उनकी मृत्यु पश्चात वादी के पक्ष में हुई वसीयत के आधार पर वादी का काबिज काश्त होना साबित होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकीयात वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 3– इस तनकी को साबित करने का भार वादी का है तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में साबित होना प्रमाणित है। छीतर पुत्र रामू की मृत्यु के पश्चात वादी के पक्ष में हुई वसीयत के आधार पर वादी का वादग्रस्त भूमि काबिज होना साबित होने से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 3 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 4 व 5– उक्त तनकीयात दानों एक दूसरे से सम्बंधित होने से उनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इस तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी का इस सम्बंध में कथन रहा है किवादग्रस्त आराजी छीतर पुत्र रामू कोम जाट निवासी कल्याणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राहिन ज.नि.स.भू वि बैक लि0 शाखा फागी मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। इस तथ्य की पुष्टि वादी द्वारा पेश जमाबन्दी संवत 2073–2078 से साबित हो जाती है। प्रतिवादी का यह कथन भ रहा कि अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा में अपने निकटतम रिश्तेदार नारायण पुत्र रामरतन जाट को अपना उत्तराधिकारी बनाया जै इस सम्बंध में प्रतिवादी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि छीतर पुत्र रामू ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है इस प्रकार वादग्रस्त भूमि छीतर पुत्र रामू की स्वअंर्जित सम्पति होना साबित है जिसे हस्तांतरण करने का पूर्व अधिकार है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहस एक खातेदार काश्तकार द्वारा हस्तान्तरण वसीयत, दान, विक्रय के माध्यम किया जा सकता है इसी के तहत हस्तान्तरण होना साबित होता है तथा जो वसीयत के पक्ष में किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किय जाना साबित होता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तनकीयात प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है। तथा वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

अनुतोष – तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है तथा तनकी संख्या 4 व 5 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है, ऐसी स्थिति में वादी का डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय से डिक्री किया जाकर तहसीलदार फागी को आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम कैरिया तहसील फागी जिला जयपुर स्थित कृषि भुमि खसरा नंम्बर 211, 484, 486 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा का वादी के पक्ष में नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय के मुताबिक पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर